–उन्तहत्तर–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–2250/11–2005–500(66)–1999
लखनऊ, 30 मई, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–255

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन सन् 1972 के संख्या 3525 पर पंजीकृत और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1951) के अधीन प्राधिकृत दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड के नीलामकर्ता अधिकारी और नीलामक्रेता के मध्य उक्त अधिनियम की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन निष्पादित हस्तान्तरण लिखत पर ऐसी धनराशि की सीमा तक, जो नीलाम क्रय के ऐसे लिखतों में यथा उपवर्णित प्रतिफल/नीलामी की धनराशि से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य तक अधिक हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-2250/XI-2005-500(66)-1999, dated May 30, 2005 for general information:

No. K.N.-5-225O/XI-2005-500(66)-1999
Lucknow, Dated May 30, 2005

Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on Instruments of Conveyance under clause (a) of Artitle 23 of Schedule 1-B of the said Act executed between the Auctioning Officer of the Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of Uttar Pradesh Limited registered at number 3525 of 1972 under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) and authorised under the State Financial Corporation Act, 1951 (Act no. 63 of 1951) and the auction purchaser to the extent of the amount that exceeds the amount of consideration/auction as set forth in such instruments of auction purchase up to the market value of immovable property concerned.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.